भगवाना - चैना मु. नं. 72/21

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5-5-25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 5-5-25 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 5-6-25 को पेश हो।	
5-6-25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप। वास्ते बहस दिनांक 17-6-25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील सीकर	
17-6-25	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रा. वास्ते आदेश दिनांक 20-6-25 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
20/6/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 72/2021

1 भगवाना पुत्र स्व. दल्लाराम उम्र साल जाति बलाई निवासी ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।

अपीलांटस

बनाम

1 चेता पुत्र गंगला
2 रामकुमार पुत्र गंगला
3 रामलाल पुत्र गंगला
4 सुरजी पुत्र गंगला उर्फ गंगू
सतस्त जाति चमार (बलाई) निवासीगण ग्राम रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर।
5 उप पंजीयक सीकर।
6 भूमिधारी तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अ.धारा 225 राज. काश्त. अधि.
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर
दिनांक 11.08.2021 आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज.
काश्तकारी अधिनियम मु.नं. 05/2019 उनवानी
भगवाना बनाम चेता आदि

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल बरवड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश माथुर, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुनिता कुमारी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 24/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 05/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1537, 1565, 1566, 1574, 863/2509 वाके ग्राम रघुनाथगढ़ तथा खसरा नम्बर 681 वाके ग्राम नाडा की ढाणी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 07.01.2020 को अपास्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के पश्चात रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 3 की ओर से राजेश माथुर ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत कर जवाब आवेदन प्रस्तुत किया। तथा रेस्पोडेन्टस संख्या 4, 5 व 6 के विरूद्ध दिनांक 05.03.21 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों अपीलान्ट द्वारा वर्णित कथनों को अनदेखा कर दिनांक 11.08.2021 को अपीलान्ट को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के खारिज कर दी गई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायलय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 4, 5 व 6 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के बाद भी पत्रावली को शेष अप्रार्थीगण की तलबी हेतु आगामी तारीख 15.09.2021 निर्धारित की गई है, इस कारण भी विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों एवं कानूनी स्थिति का कोई विवेचन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन नहीं किया गया, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है, निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपीलान्ट को होने वाली अपूरणीय क्षति तथा अपीलांट के पक्ष में सुविधा का संतुलन होने के बावजूद इस स्थिति की ओर गौर न कर मनमर्जी से आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अपीलाधीन आदेश में उल्लेख तक नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश खारिज करने से अप्रार्थीगण को विवादित भूमियों को विक्रय व हस्तांतरित करने तथा मनमर्जी से खातेदारी में नाम अंकित करवाने का लाईसेन्स प्रदान कर दिया गया है इस कारण भी आदेश स्थिर रहने योग्य नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.08.2021 निरस्त किया जाकर रेस्पोडेन्टस को तादौराने अपील अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमियों खसरा नम्बर 1537 रकबा 0.1400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1565 रकबा 0.05000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1566 रकबा 5.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1574 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.6900 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 863/2509 रकबा 1.000 हैक्टेयर वाके ग्राम रघुनाथगढ़ पटवार हल्का रघुनाथगढ़ तहसील व जिला सीकर तथा खसरा नम्बर 681 रकबा 0.41 हैक्टेयर वाके ग्राम नाडा की ढाणी को किसी भी रूप में हस्तातरित व प्रभारित करने, प्रार्थी को उनके हक, हिस्से पर से बलात बेदखल करने, कब्जा करने, कब्जे काश्त में दखलदांजी करने, प्रार्थी के उपयोग उपभोग में बाधा डालने, भूमि को वेस्ट डेमेज व एलाईमेन्ट करने तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने से बाज रहे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संख्या 2075–78 में खातेदारी गंगला के वारिसान के नाम दर्ज है। पुरानी जमाबंदी में विवादित भूमियां की खातेदारी भोला पुत्र फत्ता के नाम दर्ज है तथा उसके फौत होने के पश्चात गंगला, रूघा पुत्र भोला के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने भाला उर्फ भोला का वारिस होने के संबंध में अन्य कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाये है। जिससे यह प्रमाणित होता हो कि प्रार्थी भालाराम उर्फ भोला का वारिस है। प्रार्थी ने ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं करवाया है जिससे प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित होता है कि वह भाला उर्फ भोला का वारिस है। प्रार्थी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विवादित भूमियों में प्रथम दृष्टया अपना स्वत्व प्रमाणित नही कर पाया है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रखा जाना न्यायोचित नहीं मानकर धारा 212 के आवेदन में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने ग्राम रघुनाथगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 1537, 1565, 1566, 1574, 863/2509 के संदर्भ में पैत्रिक आधार पर उद्घोषणा का वाद प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 प्रस्तुत किया गया था।

विचारण न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल की प्रतियां प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी एवं वारिस प्रमाण पत्र इत्यादि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के निस्तारण के लिए नियत तीन बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के अनुसार विवेचन व विश्लेषण किये बिना सरसरी तौर पर विचाराधीन निर्णय दिनांक 11.08.2021 से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 07.01.2020 को अपास्त कर दिया है। विचारण न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया अनुसार तलबी पूर्ण किये बिना सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों की तामील पूर्ण कर जवाब देही प्राप्त कर बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सुनवाई प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 20/6/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर